दिनांक 21.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रश्मि उपस्थित। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवादी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुना। न्यायहित में स्वीकृत। विपक्षी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती ममता उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक का स्थगन प्रार्थना पत्र व अभियुक्त की हाजिरी माफी प्रस्तुत करी गयी। सुना। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली आज निर्णय हेतु नियत है अतः उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र एंव अभियुक्त की हाजिरी माफी अस्वीकार किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया। आदेश हुआ कि–

अभियुक्त विनोद कुमार बहुगुणा को पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के दण्डनीय अपराध के अभियोग में दोषसिद्ध पाते हुए, 1 (एक) माह के साधारण कारावास की सजा से एवं चैक में वर्णित धनराशि की दोगुनी धनराशि, कुल मु0 10,00,000/– (दस लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा करने में व्यतिक्रम करने पर दोष–सिद्ध अभियुक्त विनोद कुमार बहुगुणा को 15 (पन्द्रह) दिन का अतरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अर्थदण्ड की धनराशि मु0 10,00,000/– (दस लाख रूपये) में से मु0 9,90,000 /– (नौ लाख नब्बे हजार रूपये) परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा किया जाए तथा मु0 10,000/– (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड राजकोष में जमा किया जाये।

अभियुक्त विनोद कुमार बहुगुणा द्वारा पूर्व में प्रश्नगत मामले में जेल में बितायी गयी सजा (यदि कोई हो) उक्त सजा में समायोजित की जाये।

दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद कुमार बहुगुणा जमानत पर है परन्तु दोषसिद्ध व्यक्तिगत रूप से आज न्यायालय अभियुक्त विनोद कुमार बहुगुणा को पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के दण्डनीय अपराध के अभियोग में दोषसिद्ध पाते हुए, 1 (एक) माह के साधारण कारावास की सजा से एवं चैक में वर्णित धनराशि की दोगुनी धनराशि, कुल मु0 10,00,000/– (दस लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा करने में व्यतिक्रम करने पर दोष–सिद्ध अभियुक्त विनोद कुमार बहुगुणा को 15 (पन्द्रह) दिन का अतरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अर्थदण्ड की धनराशि मु0 10,00,000/– (दस लाख रूपये) में से मु0 9,90,000/– (नौ लाख नब्बे हजार रूपये) परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा किया जाए तथा मु0 10,000/– (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड राजकोष में जमा किया जाये।

अभियुक्त विनोद कुमार बहुगुणा द्वारा पूर्व में प्रश्नगत मामले में जेल में बितायी गयी सजा (यदि कोई हो) उक्त सजा में समायोजित की जाये।

दोषसिद्ध अभियुक्त में उपस्थित नहीं है। अतः दोषसिद्ध अभियुक्त विनोद कुमार बहुगुणा के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के माध्यम से गैर जमानती अधिपत्र, दण्डादेश के अनुपालन हेतु अविलम्ब जारी हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि वह अभियुक्त के विरूद्ध जारी गैर जमानती अधिपत्र की तामीली कराना सुनिश्चित करें, ताकि उसका सजायाबी वारण्ट तैयार कर उसको सजा भुगतने हेतु जिला कारागार पौड़ी भेजा जा सकें।

उपरोक्त निर्णय की एक प्रति धारा 363(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुपालन में दोष–सिद्ध अभियुक्त विनोद कुमार बहुगुणा के विद्वान अधिवक्ता को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।